



2026: AHC: 32753-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1232/2026

अमन सिंह एवं 2 अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: राधे श्याम यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना (जांच) के दौरान, बी.एन.एस. और पॉक्सो अधिनियम के तहत कुछ अन्य अपराध भी जोड़े गए हैं।
3. याचियों के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने बयान दिया कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, तो नियमानुसार वापस कर दी जाए।

13 फरवरी, 2026 ज़फर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"